उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-3

संख्या- 03/2018 /1015/37-3-2018-2(17)/2017

लखनऊः दिनांकः 18 जून, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

शासन के पत्र संख्या-1583/37-3-2017-2(17)/2017, दिनांक 01 नवम्बर, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग (कृषि सेवा) श्रेणी-2 के प्रक्षेत्र प्रबंधक, सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र), चारा विकास अधिकारी एवं कृषि अधिकारी की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुए एक सप्ताह के भीतर आपत्तियॉ मांगी गयी। इस संबंध में कतिपय आपत्तियॉ प्राप्त हुई, जो निम्नवत् हैं:-

1- डा0 हरित कुमार का प्रत्यावेदन दिनांक 11-11-2017 को समयान्तर्गत प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने काशी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2016 में प्राप्त पी0एच0डी0 के उपाधि की प्रति संलग्न करते हुए ज्येष्ठता सूची में अपने नाम के सम्मुख ''डा0 हरित कुमार'' अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर डा0 कुमार की आपत्ति स्वीकार करते हुए उनके नाम के सम्मुख ''डा0 हरित कुमार'' किया जाता है।

2- श्री अर्जुन, चारा विकास अधिकारी का प्रत्यावेदन दिनांक 28-01-2018 को प्राप्त हुआ, जो निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त हुआ है। अपने प्रत्यावेदन में उन्होंने विलम्ब से प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का कारण कतिपय पारिवारिक परिस्थितियों को बताया है। प्रश्नगत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध श्री अर्जुन द्वारा निम्नानुसार 03 आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी हैं:-

(1) पशुधन अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30-08-2010 द्वारा निर्गत विभाग में प्रथम नियुक्ति/तैनाती आदेश में उन्हें एवं डा0 प्रकाश चन्द्र सिंह को ''प्रक्षेत्र प्रबंधक एवं समकक्ष'' पदों पर अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान की गयी थी, जबकि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में डा0 प्रकाश चन्द्र सिंह को सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र) एवं उन्हें चारा विकास अधिकारी पद धारक अंकित किया गया है, अत: डा0 प्रकाश चन्द्र सिंह एवं श्री अर्जुन की प्रथम पद स्थापना के संबंध में तद्नुसार ज्येष्ठता सूची के स्तम्भ-7 को संशोधित करते हुए दोनों अधिकारियों के नाम के सम्मुख, ''प्रक्षेत्र प्रबंधक एवं समकक्ष'' अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में अभिलेखों के आधार पर श्री अर्जुन की उक्त आपत्ति स्वीकार करते हुए तद्नुसार संशोधन किया जाता है।

(2) श्री अर्जुन की दूसरी आपत्ति यह है कि डा0 प्रकाश चन्द्र सिंह एवं उनकी प्रथम नियुक्ति एक ही आदेश दिनांक 30-08-2010 द्वारा की गयी थी, किन्तु डा0 प्रकाश चन्द्र सिंह का स्थाईकरण आदेश दिनांक 12-04-2016 को निर्गत कर दिया गया, जबकि उनका स्थाईकरण आदेश अभी तक निर्गत नही किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

इस संबंध में अभिलेखों के आधार पर श्री अर्जुन की उक्त आपत्ति स्वीकार करते हुए तद्नुसार संशोधन किया जाता है।

(3) डा0 प्रकाश चन्द्र सिंह द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 22-04-2015 द्वारा उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद में तकनीकी सचिव में योगदान करने हेतु अवमुक्त होने के बाद पुन: विभाग में वापस आकर दिनांक 13-04-2016 को योगदान किया गया है। अत: दिनांक 22-04-2015 से 13-04-2016 तक डा0 प्रकाश चन्द्र सिंह द्वारा उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ में तकनीकी सचिव के पद पर कार्य करने की सेवा अवधि को भी ज्येष्ठता सूची में अंकित करने का अनुरोध श्री अर्जुन द्वारा किया गया है।

इस संबंध में परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि पशुधन अनुभाग-1 के आदेश दिनांक 12-04-2016 द्वारा डा0 सिंह को प्रक्षेत्र प्रबंधक एवं समकक्ष पद पर स्थायी घोषित करते हुए पशुपालन विभाग में डा0 प्रकाश सिंह का लियन (धारणाधिकार) (जो पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन में लम्बित था) बनाये रखा गया है, जो नियमानुसार है। अत: आपत्ति औचित्यपूर्ण न होने के कारण स्वीकार योग्य नही है।

3- अत: उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निस्तारण करते हुए उ0प्र0 पशुपालन (फार्म्स) राजपत्रित सेवा संवर्ग की अन्तिम ज्येष्ठता सूची उ0प्र0 पशुपालन (फार्म्स) राजपत्रित सेवा नियमावली, 1994 के नियम-22 के अन्तर्गत निम्नवत् प्रकाशित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0/ ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम/ पिता का नाम/ पदनाम	गृह जनपद/ जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	पोषक संवर्ग के पद पर भर्ती का स्रोत	पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति की तिथि	प्रक्षेत्र प्रबंधक, सहायक निदेशक, चारा विकास अधिकारी एवं कृषि अधिकारी के पद पर ग्रहण करने की तिथि/ योगदान की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1/**01**	**डा0 प्रकाश चन्द्र सिंह पुत्र स्व0 मणिदेव सिंह सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र) (अ0पि0व0)**	मिर्जापुर 15-07-1982	एम0एस0सी0 (ए0जी0), पी0एच0डी0	सीधी भर्ती	30-08-2010	प्रक्षेत्र प्रबंधक एवं समकक्ष दि0 31-08-2010	31-08-2012
2/**02**	**श्री अर्जुन पुत्र श्री राम भरोसे चारा विकास अधिकारी (अनु0जा0)**	अम्बेडकर नगर 20-09-1975	एम0एस0सी0 (ए0जी0)	सीधी भर्ती	30-08-2010	प्रक्षेत्र प्रबंधक एवं समकक्ष दि0 31-08-2010	31-08-2012
3/**03**	**श्री सुनील कुमार पुत्र श्री मुन्ना लाल प्रक्षेत्र प्रबंधक (अ0पि0व0)**	इटावा 10-03-1990	एम0एस0सी0 (ए0जी0)	सीधी भर्ती	23-09-2016	दि0 26-09-2016 प्रक्षेत्र प्रबंधक	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4/**04**	**डा0 हरित कुमार पुत्र श्री वीर सिंह कर्दम चारा विकास अधिकारी (अनु0जा0)**	गाजियाबाद 26-06-1987	एम0एस0सी0 (ए0जी0), पी0एच0डी0	सीधी भर्ती	शासनादेश दिनांक 23-09-2016 द्वारा नियुक्ति के आदेश निर्गत किये गये थे, किन्तु उनको समय से आदेश प्राप्त न होने के कारण उनके द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 29-06-2017 द्वारा पुनः नियुक्ति के आदेश निर्गत किये गये।	दि0 01-08-2017 चारा विकास अधिकारी	-
5/**05**	**श्री रमेश कुमार सिंह पुत्र श्री शिवनाथ सिंह कृषि अधिकारी**	गोण्डा 14-09-1990	एम0एस0सी0 (ए0जी0)	सीधी भर्ती	23-09-2016	दि0 18-10-2016 कृषि अधिकारी	-

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या- 03/2018 /1015 (1) /37-3-2018-2(17)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को आगामी गजट मे प्रकाशनार्थ।
6- उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
7- संबंधित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
वेदप्रकाश सिंह राजपूत
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com